राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line No. 15100)

क्रमांकः—एफ—7(145) रालसा/संस्था/2017/612 दिनांकः— 28.11.2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार विधि (ग्रुप—2) विभाग के आदेश संख्या प.8(1)विधि—2/विरस—(III)/2017/525 जयपुर, दिनांक 07.06.2017 द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नवीन स्वीकृत संयुक्त सचिव पद पर विधि विभाग के आदेश संख्या प.8(1)विधि—2/विरस/2011 जयपुर, दिनांक 27.11.2017 के द्वारा श्रीमती अनु चौधरी को संयुक्त सचिव (न्यायिक), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पद पर पदस्थापित/नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश संख्या 03 दिनांक 12.01.1998 (जिसके द्वारा उप सचिव को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर कार्यालय के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य के प्रयोजनार्थ कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया था) को निरस्त करते हुए संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर कार्यालय के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों के प्रयोजनार्थ कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाता है।

संयुक्त सचिव (न्यायिक), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय नियमों एवं समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन कार्यालय अध्यक्ष को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं समस्त वित्तीय संव्यवहार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुमति व सहमति से किये जायेंगे। उनके कर्तव्य एवं दायित्व सामान्यतया सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं समय—समय पर जारी आदेशों में निर्धारित किये गये हैं एवं महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों का सारांश जी.एफ. एण्ड ए.आर. के परिशिष्ठ 1 में दिया गया है। जिनके साथ—साथ संयुक्त सचिव (न्यायिक), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे :—

1. कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए समस्त सरकारी कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों संबंधी समस्त बिलों एवं आकस्मिक व्ययों के बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करना।
2. समस्त प्राप्तियों एवं इस प्रकार आहरित निधियों में से किये गए भुगतानों का लेखा रखना तथा वैध रसीद लेकर उचित प्राप्तकर्ता को भुगतान करना तथा भुगतान करने के प्रमाणस्वरूप उसे अनुप्रमाणित करना।
3. रोकड़ पुस्तिका तथा समस्त लेखा पंजिका तथा अभिलेख, विशेषरूप से बिलों के भुनाने पर निगरानी रखने का रजिस्टर, बिल भेजने का रजिस्टर, अल्पकालीन अग्रिमों का रजिस्टर, आकस्मिक व्ययों का रजिस्टर, अग्रिम एवं समायोजनों का रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, दुर्विनियोग का रजिस्टर आदि, चैकों, ड्राफ्टों, पोस्टल मनी ऑर्डर्स/ड्राफ्ट्स द्वारा किये गए भुगतानों का रजिस्टर रखना तथा संबंधित प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना।
4. वित्तीय नियमों, आदेशों एवं सरकार द्वारा समय—समय पर जारी की गयी वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजनों के अनुसार आवर्तक एवं अनावर्तक आकस्मिक व्ययों को करना एवं आकस्मिक व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना।

5. सरकारी कर्मचारियों को दिए गए अस्थायी अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करना तथा निर्धारित समय के भीतर खर्च न किये गए अतिशेष (बेलेन्स) की वसूली को सुनिश्चित करना तथा उन पर इन नियमों में यथा–उपबंधित कार्यवाही करना एवं
6. भण्डार की वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त करना तथा उनके उचित हिसाब एवं अभिरक्षा (कस्टडी) की व्यवस्था करना।

संयुक्त सचिव (न्यायिक), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अवकाश पर होने व मुख्यालय कार्यालय में नहीं होने की स्थिती में उप सचिव, प्रथम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को कार्यालय के वित्तीय संव्यवहार करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

(एस. के. जैन)
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः–एफ–7(145) रालसा/संस्था/2017/30221-30267 दिनांक :– 28.11.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
4. श्रीमान् महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
6. उप सचिव–I, उप सचिव–II, उप सचिव (एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर.) रालसा, जयपुर एवं उप सचिव, रालसा, जोधपुर।
7. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर एवं जोधपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सहायक लेखाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी, रालसा, जयपुर।
10. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
11. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।

28.11.2017
(निहाल चंद)
उप सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।